निर्णय राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प छीपाबड़ौद
द्वारा श्री हीरालाल वर्मा आर.ए.एस.उपखण्ड अधिकारी छीपाबड़ौद जिला बारां

प्रकरण संख्या :– 14/2015 दावा
दायरा दिनांक :– 13.03.2015
निर्णय दिनांक :– 07.07.2017

उनवान

उम्मेद सिंह पुत्र श्रीलाल मुतबन्ना लक्ष्मीनारायण जाति मीना निवासी परोलिया तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां

बनाम

1. रामचन्द्र
2. लक्ष्मण
3. नेमीचन्द आत्मज हरिराम
4. राजमल
5. चिन्टू आत्मज नेमीचन्द
6. ब्रहमानन्द पुत्र लक्ष्मण
7. भगवान सिंह पुत्र रामचन्द्र
8. भोजराज पुत्र रामचन्द्र जाति मीणा निवासी परोलिया तहसील छीपाबड़ौद
9. रामस्वरूप पुत्र श्रीलाल
10. गजेन्द्र सिंह पुत्र उम्मेद सिंह
11. देवेन्द्र सिंह पुत्र नवल सिंह
12. लोकेन्द्र सिंह पुत्र नवलसिंह जाति मीना निवासी परोलिया तहसील छीपाबड़ौद

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट
निर्णय दिनांक :– 07.07.2017

अभिभाषक उपस्थित :– 1. श्री रामेश्वर प्रसाद गोयल

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट विरूद्ध प्रतिवादी के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि आराजी खसरा नंबर 4 रकबा 27 3 बीघा, खसरा नंबर 5 रकबा 21.07 बीघा, खसरा नंबर 21 रकबा 18 बिस्वा, खसरा नंबर 2 रकबा 4.02 बीघा, खसरा नंबर 23 रकबा 5.15 बीघा, खसरा नंबर 24 रकबा 3.15 बीघा, खस नंबर 25 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नंबर 26 रकबा 2.16 बीघा, खसरा नंबर 28 रकबा 6.10 बीघ

Scanned by CamScanner

खसरा नंबर 29 रकबा 1.07 बीघा, खसरा नंबर 30 रकबा 1.17 बीघा, खसरा नंबर 68 रकबा 1 बिस्वा, खसरा नंबर 98 रकबा 10.16 बीघा, खसरा नंबर 102 रकबा 14.10 बीघा, खसरा नंबर 194 रकबा 36.09 बीघा, खसरा नंबर 180/63 रकबा 02 बिस्वा कुल किता 16 रकबा 138 बीघा मौजा परोलिया मे स्थित है, जो वादी एवं तरतीबा प्रतिवादीगण के खातेदारी मे दर्ज है। उक्त वर्णित आराजीयात पर तरतीबा प्रतिवादीगण के साथ कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रतिवादीगण भी मौजा परोलिया के निवासी है, जो एक ही समाज के लोग है। प्रतिवादीगण की आराजी भी वादीगण की आराजी के सामने है, तथा बीच मे रोड़ है। प्रतिवादीगण वादी की उक्त वर्णित आराजी पर कब्जा करने को आमादा है। प्रतिवादीगण यह कहते है, कि वे वादी को विवादित आराजी से बेदखल कर अपना कब्जा जमायेगे तथा वादी को अपनी ही आराजी का उपयोग नही करने देगे। इस हेतु वादी ने उक्त वर्णित आराजीयात पर कब्जा करने का प्रयास किया, हालाकि वादी ने प्रतिवादीगण के प्रयास को असफल कर साबित कर दिया कि प्रतिवादीगण को वादी की आराजी पर कब्जा करने तथा वादी को बेदखल करने का कोई अधिकार नही है। प्रतिवादीगण अपने कुमन्तव्य मे कामयाब नही हो पाये न ही वादी को विवादित आराजी से बेदखल कर पाये, लेकिन प्रतिवादीगण ने वादी के साथ गाली–गलौच करते हुये धमकी दी है, कि वे वादी को विवादित आराजी से बेदखल करके ही रहेगे। प्रतिवादीगण को वादी की उक्त वर्णित आराजी पर कब्जा करने का व वादी को बेदखल करने का कोई अधिकार नही है, लेकिन इन सबके बावजूद प्रतिवादीगण नही माने। इन हालात मे वादी के लिये वाद प्रस्तुत करना नितान्त आवश्यक हो गया है। वाद कारण दिनांक 24.02.2015 को उत्पन्न हुआ, जबकि प्रतिवादीगण ने अवैध व अनाधिकृत रूप से उक्त वर्णित आराजी पर कब्जा करने तथा वादी को बेदखल करने का असफल प्रयास किया तथा वादी के साथ गाली–गलौच करते हुये जान से मारने व आराजीयात से बेदखल करने की धमकी दी। लिहाजा यही तिथि बिनाय मुखास्मत दावा हाजा करार दी जाती है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी 1 ता 8 की ओर से जवाब दावा पेश हुआ। वादी ने अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम परोलिया सम्वत् 2070–73 खाता संख्या 4 पेश की गई। साक्ष्य वादी पी.डब्ल्यू 1 उम्मेदसिंह के बयान कराये गये। प्रकरण राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्व फोलोअप केम्प छीपाबड़ौद पर रखा गया। पक्षकारान् को राजस्व लोक अदालत न्याय आप द्वार केम्प छीपाबड़ौद पर उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किये गये। वादी राजस्व ल अदालत न्याय आपके द्वार केम्प मे स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया कि प्रार्थी खातेदारी की भूमि की पेमाईश कर प्रार्थी को कब्जा दिलाया जाये व वाद का निस्तारण दिया जाये। प्रार्थी को सुना गया एवं पत्रावली का व रिकार्ड का अवलोकन किया विवादित आराजी वाके ग्राम परोलिया वादी के हिस्सा 1/3 खातेदारी में दर्ज है। वादी खातेदारी की भूमि की पैमाईश कराना चाहता है। वादी का वाद स्वीकार कर विवादित भू पैमाईश कराया जाना न्यायोचित है।

अधिकारी

Scanned by CamScanner

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प छीपाबड़ौद पर आपसी सहमति के आधार पर स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम परोलिया के खसरा नंबर 4 रकबा 27.3 बीघा, खसरा नंबर 5 रकबा 21.07 बीघा, खसरा नंबर 21 रकबा 18 बिस्वा, खसरा नंबर 22 रकबा 4.02 बीघा, खसरा नंबर 23 रकबा 5.15 बीघा, खसरा नंबर 24 रकबा 3.15 बीघा, खसरा नंबर 25 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नंबर 26 रकबा 2.16 बीघा, खसरा नंबर 28 रकबा 6.10 बीघा, खसरा नंबर 29 रकबा 1.07 बीघा, खसरा नंबर 30 रकबा 1.17 बीघा, खसरा नंबर 68 रकबा 1 बिस्वा, खसरा नंबर 98 रकबा 10.16 बीघा, खसरा नंबर 102 रकबा 14.10 बीघा, खसरा नंबर 194 रकबा 36.09 बीघा, खसरा नंबर 180/63 रकबा 02 बिस्वा कुल किता 16 रकबा 138 बीघा में वादी एवं प्रतिवादी क्रम 9 ता 12 की भूमि की पैमाईश करने हेतु तहसीलदार छीपाबडौद को आदेशित किया जाता है। वाद पैमाईश प्रतिवादी क्रम 1 ता 8 को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है, कि वादी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करें। तद्नुरूप डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर सुनाया गया।

(दीपचन्द अधिकारी)
उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद जिला बारां

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छीपाबड़ौद जिला बारां (राज0)

डिक्री

वाद संख्या 14/2015	धारा अन्तर्गत 188, RTA	
समक्ष : श्री हीरालाल वर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, छीपाबड़ौद जिला बारां		निर्णय दिनांक : 07.07.0.2017
उपस्थिति : अभिभाषक वादी— श्री ललित कुमार शर्मा	अभिभाषक प्रतिवादी— अशोक कुमार पारीक	

वाद शीर्षक

उनवान

उम्मेद सिंह पुत्र श्रीलाल मुतबन्ना लक्ष्मीनारायण जाति मीना निवासी परोलिया तहसील छीपाबड़ौद

बनाम

1. रामचन्द्र 2. लक्ष्मण 3. नेगीचन्द आत्मज हरिराम
4.राजमल 5. चिन्टू आत्मज नेगीचन्द
6.ब्रहमानन्द पुत्र लक्ष्मण 7. भगवान सिंह पुत्र रामचन्द्र
7.भोजराज पुत्र रामचन्द्र जाति मीणा निवासी परोलिया तहसील छीपाबड़ौद
8.रामस्वरूप पुत्र श्रीलाल 9. गजेन्द्र सिंह पुत्र उम्मेद सिंह
9.देवेन्द्र सिंह पुत्र नवल सिंह
10.लोकेन्द्र सिंह पुत्र नवलसिंह जाति मीना निवासी परोलिया तहसील छीपाबड़ौद

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद मे यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादी का वाद राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प छीपाबड़ौद पर आपसी सहमति के आधार पर स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम परोलिया के खसरा नंबर 4 रकबा 27.3 बीघा, खसरा नंबर 5 रकबा 21.07 बीघा, खसरा नंबर 21 रकबा 18 बिस्वा, खसरा नंबर 22 रकबा 4.02 बीघा, खसरा नंबर 23 रकबा 5.15 बीघा, खसरा नंबर 24 रकबा 3.15 बीघा, खसरा नंबर 25 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नंबर 26 रकबा 2.16 बीघा, खसरा नंबर 28 रकबा 6.10 बीघा, खसरा नंबर 29 रकबा 1.07 बीघा, खसरा नंबर 30 रकबा 1.17 बीघा, खसरा नंबर 68 रकबा 1 बिस्वा, खसरा नंबर 98 रकबा 10.16 बीघा, खसरा नंबर 102 रकबा 14.10 बीघा, खसरा नंबर 194 रकबा 36.09 बीघा, खसरा नंबर 180/63 रकबा 02 बिस्वा कुल किता 16 रकबा 138 बीघा में वादी एवं प्रतिवादी क्रम 9 ता 12 की भूमि की पैमाईश करने हेतु तहसीलदार छीपाबड़ौद को आदेशित किया जाता है। वाद पैमाईश प्रतिवादी क्रम 1 ता 8 को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाता है, कि वादी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करें।

साथ ही नियमानुसार ..... रू0 का व्ययानुतोष ..... द्वारा ..... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेष मेरें हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक.....को निर्गत किया गया।

हस्ताक्षर
उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद

उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद जिला बारां

व्ययानुतोष			
क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वद पत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीस कमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (%)		

Scanned by CamScanner